विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु :
विधि अध्ययन में बी.ए.एल.एल.बी. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। एकीकृत स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 20 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 22 वर्ष होगी।

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयुसीमाः–
एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा 32 वर्ष (अनारक्षित प्रवर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा), 37 वर्ष (छ.ग. के अनारक्षित प्रवर्ग के निःशक्तता से बाधित के लिए उच्चतम आयु सीमा), 35 वर्ष (छ.ग. के एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के लिए उच्चतम आयु सीमा) एवं 40 वर्ष (छ.ग. के एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के निःशक्तता से बाधित के लिए उच्चतम आयु सीमा) होगी।

(ब) आरक्षण
12% स्थान अजा के छात्रों के लिए, 32% स्थान अजजा के छात्रों के लिए, तथा 14: स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, 3% (शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को छोड़कर) स्थान विकलांगों के लिए तथा 3% स्थान स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों केआश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन वर्गों के छात्र न मिलने पर रिक्त स्थान अन्य सुपात्र छात्रों को दे दिए जाएँगे। इन सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षित स्थानों हेतु आवेदन–पत्र देते समय समक्ष अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (नोट–आरक्षण छ.ग. शासन के नियमानुसार प्रभावी होगा)

दिव्यांगता –
01. वे आवेदक जिन्हें Bench mark disability है उनके लिए 5% सीट आरक्षित होगा।
02. Bench mark disability आवेदक को प्रवेश के दौरान 5 वर्ष आयु की छूट होगी।
कश्मीरी प्रवासियों के पाल्यों को प्रवेश में छूट
(संदर्भ– मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित) :–
1. प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना है।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में इन छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यकतानुसार 5 प्रतिशत तक सीट में वृद्धि की जा सकती है।
3. मेरिट के आधार पर निर्धारित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एक सीट में आरक्षित रखा जावे।
4. निवास प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता को महत्व न दिया जावे।

(स) चयन का आधार
छात्रों का चयन विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं द्वारा आयोजित अलग–अलग प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित होगा।
01. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे – एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नॉ., बी.फार्मा., एम.फार्मा., बी.एड., बी.पी.एड, एम.पी.एड., पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी (पी.जी.डी.आर.पी.) में प्रवेश राज्य शासन/संबंधित विषय की केंद्रीय परिषद् / नियामक संस्थान एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जाएगा।
02. उपर्युक्तानुसार प्रावीण्य निर्धारित करते हुए अजा/ अजजा/ अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के लिए सैद्धांतिक पेपरों के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत में 5% तक की शिथिलता दी जाएगी।
03. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए 2006 के पश्चात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन मेंउत्तीर्ण होना अनिवार्य है।